

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या 772 / स्तम्भ लिपिक-2015

दिनांक 15-12-2015

सामान्य निर्देश

से प्रभावी की जाती है। इस सूची के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय:-

उत्तर प्रदेश स्तम्भ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं उत्तर प्रदेश स्तम्भ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 4 के अधीन जनपद लखनऊ में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक 15-12-2015 से प्रभावी की जाती है। इस सूची के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय:-


1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्तम्भ प्रभावी की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इस सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्तम्भ प्रभावीता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।

2. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
3. कृषिक भूमि के अन्तर्गत विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किस्मान बही के संसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. जिस गैर कृषक सम्पत्ति की चौहद्दी में पार्क हो तो भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। जिस गैर कृषक सम्पत्ति की सीमाओं में एक के अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के भूखण्ड हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों (पार्क व दो मार्ग) परस्परविरोधा विद्यमान हो तो ऐस भूखण्ड के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी।

(राज शंकर)
जिला मैजिस्ट्रेट
लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी (वि एवं वी)
लखनऊ।


 (पं. सं. 10) एवं (पं. सं. 10)
 (अनुसूचित जाति) (अनुसूचित जाति)

- अतिरिक्त वृद्धि करके मूल्यांकन किया जाएगा।
- (v) - अनुपातिक भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर वाली सड़क की दर से आगोशित करते हुए 10 प्रतिशत की मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के परिसर यदि दो या दो से अधिक मार्गों पर स्थित है तो उसके होता है तो समस्त यूनित/ब्लॉक का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जाएगा।
- (iv) - मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के परिसर का निकास यदि मुख्य मार्ग अथवा उसकी सर्जिस लेन पर नहीं होगी।
- (iii) - मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के पेन्ट हाउस के विकय विलेखों में किसी प्रकार की छूट अनुमत्य जायेगा।
- (ii) - सातवीं मंजिल एवं उससे ऊपर की मंजिलों के मूल्यांकन में 15 प्रतिशत की कमी करके मूल्यांकन किया प्रतिशत की कमी करके मूल्यांकन किया जाएगा।
- (i) - चौथी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक के मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में 10

- (ख) प्रचलित दर सूची के भाग तीन प्राकृ-5 ख में वर्णित और वाणिज्यिक भवनों में-
- निहित अनुपातिक भूमि के क्षेत्रफल उसके आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
7. (क) प्रचलित दर सूची के भाग तीन प्राकृ 5 (ख) में वर्णित 3 मंजिल से अधिक मंजिल वाले मटेस्ट्रीज और वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निर्माण दरों एवं भूमि के अनुपातिक मूल्य को जोड़कर किया जायेगा। फ्लैट में उसका कुछ भाग भूमि के ऊपर हो तो उसकी गणना भूतल के रूप में की जायेगी।
6. बेसमेन्ट का तात्पर्य ऐसे तल से होगा जो पूर्णतः भूमि के अन्दर स्थित हो। यदि कोई तल आधा भूमि के अन्दर तथा पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसूचित स्टाप्प प्रभाष्य होता है, के साथ, उस सम्पत्ति पर पड्डेवने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण पूर्ण मानचित्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली मोहल्ला, डाक का पूरा पता क्रेता-विक्रेता व गवाह का फोन नम्बर व पड्डेवने पत्र संख्या तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। महिला पक्षकार सुविधानुसार अपने पति/पिता/भाई का मोबाइल नम्बर अंकित करने हेतु अनुमत्य होगी। यदि प्रथमतः सम्पत्ति को पूर्व में कोई डेकररनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का

(vi)- मलेरीयोज रोग वाणिज्यिक भवनों के फ्लैट के अतिरिक्त किसी कबड्डी पार्किंग के विक्रय होने की दशा में उसके कबड्डी क्षेत्रफल का मूल्यांकन तीन मंजिल तक रोग वाणिज्यिक भवनों के आर०सी०सी० निर्माण हेतु निर्धारित दर के अनुक्रम किया जाएगा।

8. जनपद लखनऊ में स्थित किसी भी मार्ग पर स्थित ओवर डिवा (फ्लाइंग ओवर) की ऊंचाई के प्रासंगिक बिन्दु से ढलान की समानता के बिन्दु तक, नीचे की सड़क पर स्थित मूखण्डों का मूल्यांकन उस मार्ग हेतु निर्धारित मूखण्ड की दर में 20 प्रतिशत की कमी कर दी जायेगी।

9. यदि कोई राजस्व ग्राम अथवा मोहल्ला इस रेट सूची में आंकित होने एवं उसकी दर निर्धारित किये जाने से छूट गया है तो उस राजस्व ग्राम अथवा मोहल्ला इस रेट सूची में निकटतम राजस्व/मोहल्ले की दर प्रभावी होगी।

10. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभावी है उसके सम्बन्ध में विवेक में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभावी होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।

11. एक मंजिल से अधिक परन्तु तीन मंजिल तक के भवन के अलग-अलग तल के अन्तर्गत विवेक में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में आविभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का आविभाजित अंश 33.3 (1/3) प्रतिशत होगा। इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत के अन्तर्गत विवेक में छत के न्यूनतम भूखण्ड की गणना सम्बन्धित स्थल की अक्षयक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जायेगी:-

(क) भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/2 भाग से


(ख) प्रथम तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/3 भाग से

(ग) द्वितीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/4 भाग से

(घ) तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/5 भाग से

उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अक्षयक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायेगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु 1/6, पंचम तल की छत हेतु 1/7 आदि।

अपर निर्धारित (दर 1/10) से अधिक।
लखनऊ


 (अनुसूचित जाति) के लिए
 आरक्षण (वि. सं. 20)


की जायेगी-

(ब) जनपद लखनऊ में अर्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम में स्थित कृषिक भूमि जो पक्की सड़क अथवा आबादी/इमारत/आवासीय गतिविधि से सटी हो, के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.100 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग-2 में दी गयी अर्कषक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0.100 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 0.1500 हेक्टेयर तक	0.100 हेक्टेयर तक श्रेणी एक के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य व 0.100 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 0.1500 हेक्टेयर तक इस सूची के भाग दो में दी गयी अर्कषक भूमि की दर के 70 प्रतिशत के मूल्य के योग पर।
3.	0.1500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर	0.1500 हेक्टेयर तक उपरोक्त श्रेणी-1 व 2 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि हेतु दर सूची में उक्त स्थान हेतु निर्धारित कृषि भूमि की दर से निकाले गये मूल्य का योग


हेतु न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी-

12. भिन्नी निकाली हेतु भिन्नी की ढिकी की दर 80 रु प्रति घनमीटर निर्धारित की जाती है।
13. (अ) जनपद लखनऊ में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम/मोहल्लों में स्थित कृषिक भूमि के मूल्यांकन


 (धनानन्द शर्मा)
 अपर निर्वाहिकाधी (वि० एवं ए०)
 लखनऊ।

14. इस निर्देश की कम संख्या 13अ श्रेणी 1 व 2 तथा 13ब की श्रेणी 1 में निर्दिष्ट भूमि सीमा के उपरान्त अवशेष कृषिक भूमि यदि सड़क एवं आबादी दोनों से सटी है तो सम्बन्धित स्थान हेतु निर्धारित सड़क की दर में 40 प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा तथा कृषि भूमि यदि आबादी से सटे गाटा संख्या से 50 मीटर से अधिक भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जिसकी 50 मीटर की दूरी में आबादी/इमारत अथवा आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हों।
15. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि यदि आबादी से सटे गाटा संख्या से 50 मीटर से दूर परन्तु 200 मीटर की परिधि के अन्दर स्थित है तो उस क्षेत्र हेतु प्रचलित सामान्य कृषि दर में 30 प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। यदि कोई कृषि भूमि किसी सड़क पर स्थित है और उसकी 50 मीटर की परिधि में आबादी स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस सड़क हेतु निर्धारित कृषि दर में 40 प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा।
16. अन्तर्गत सम्पत्ति में बोरवेल या कुएँ नल/हैण्डपम्प आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा। बोरवेल/सबमर्सिबल का मूल्य 30000/- रु० प्रति बोरवेल/सबमर्सिबल होगा तथा कुएँ का मूल्य प्रति कुएँ 10000/- रु० तथा नल/हैण्डपम्प का मूल्य प्रति नल 5000/- रु० होगा।

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.050 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग-2 में दी गयी अक्षरक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2.	0.050 हेक्टेयर से अधिक	0.050 हेक्टेयर तक उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि हेतु दर सूची में उक्त स्थान हेतु निर्धारित कृषि भूमि की दर से निकाले गये मूल्य का योग



(सं. १०४/२०१७)
 जिला शिक्षा अधिकारी (वि. १०४/२०१७)
 जिला शिक्षा अधिकारी

किया जाएगा।

नगर निगम सीमा के बाहर 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन करि भूमि की दशा में उस क्षेत्र हेतु निर्धारित करि भूमि दर के दो गुने पर किया जाएगा तथा उक्त भूमि यदि अर्कषिक है तो उस स्थान हेतु निर्धारित अर्कषिक भूमि की दर में 50 प्रतिशत की कमी करते हुए मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ)

नगर निगम सीमा से बाहर 1000 वर्गमीटर तक के स्थापित कोल स्टोरेज / भट्टे व अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्कषि मूल्यांकन की दर से 20 प्रतिशत कम करते हुए किया जाएगा।

(ग)

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित कोल स्टोरेज / भट्टे / वेयर हाऊस व अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्कषि मूल्यांकन की दर में 20 प्रतिशत कम करते हुए किया जाएगा।


(ख)

1-	अमासी औद्योगिक क्षेत्र -	रुपय 4,500/- प्रतिवर्ग मीटर
2-	गहक औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 5,000/- प्रतिवर्ग मीटर
3-	हरतन्दपुर गाँविकाँरा / गाँविकाँरा / तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 6,000/- प्रतिवर्ग मीटर
4-	बिनहट औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 6,000/- प्रतिवर्ग मीटर
5-	धावा औद्योगिक क्षेत्र-	रुपय 5,000/- प्रतिवर्ग मीटर

(क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) या सरकारी निगमों या सरकारी विभागों के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ विकसित मूल्यांकन की दरें-

(क)

17. औद्योगिक भूमि एवं भवन का मूल्यांकन निम्नवत किया जाएगा-



 (संयोजक) (दिनांक 01.12.2015)
 उपपर निदेशिका (दिनांक 01.12.2015)

- निम्नवत होगा:-
23. अन्तर्गत सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष व्यास के अनुसार उनका मूल्य सूची का भाग है।
22. दिनांक 01.12.2015 को निर्गत एकल/एकल से भिन्न टुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों से सम्बन्धित दर सूची इस आच्छादित क्षेत्रफल के मूल्य के भाग के आधार पर आगणित किया जाएगा।
21. यदि कोई और वाणिज्यिक बहुमंजिला इमारत सम्पूर्ण रूप से अन्तर्गत होती है तो उसका बाजार मूल्य भी एवं उपरोक्त सूचियाओं से रहित सभी फलदार साधारण कैटेगरी में समझे जायेंगे।
20. ऐसी फलदार जिनके परिसर में रिवर्सिंग पूल, क्लब, रेस्टोरेंट अथवा बार में से कोई भी दो सुविधाएँ मौजूद हैं तो इनकी गणना प्रीमियम फलदार की श्रेणी के रूप में की जायेगी और इसी अनुक्रम निर्धारित निर्माण की दर प्रभाव्य होगी।
19. यदि कोई सम्पत्ति प्राकृतिक क्षेत्र या अन्य किसी मुख्य मार्ग की सर्जिस लेन पर स्थित है तो उसकी अवस्थिति संगमनेर रोड/मुख्य मार्ग पर मानी जायेगी और उसी अवस्थिति के अनुसार निर्धारित दर प्रभाव्य होगी, तथा जो मोहल्ले/राजस्व ग्राम प्राकृतिक क्षेत्र में वर्गीकृत विन्हीत सड़कों पर स्थित होने की दशा में रोड संगमनेर रोड/मुख्य मार्ग पर मानी जायेगी और उसी अवस्थिति के अनुसार निर्धारित दर प्रभाव्य होगा।
18. इस मूल्यांकन सूची में निर्धारित अक्षरक मूल्यांकन (एक यूनिट) की दर 1000 वर्ग मीटर तक लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में 1000 वर्ग मीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मूल्यांकन की दर 30 प्रतिशत कम करके लागू होगी।

(ब) स्थापित औद्योगिक संस्थानों में लगी मशीनों एवं अन्य उपकरणों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त फंक्शनल वैल्यूअर से प्राप्त आख्या के आधार पर किया जायेगा। आख्या में वैल्यूअर की फंक्शनल संख्या, पत्र व्यवहार का पता तथा मोबाइल नम्बर साफ साफ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(i) आर0सी0सी0/आर0बी0सी0निर्माण हेतु	-	रुपये 6,000 प्रति वर्ग मीटर
(ii) टिन रोड/एस्टेस	-	रुपये 4,000 प्रति वर्ग मीटर
(iii) खपरेल	-	रुपये 2,000 प्रति वर्ग मीटर

(ख) औद्योगिक निर्माण की दर निम्नवत होगी-



(कृषि विभाग)
 (कृषि विभाग)
 (कृषि विभाग)

क्र	सं.	वृक्षों की प्रजाति	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क	वृक्षों की प्रजाति	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	स		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70		
	सं.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		साल	130	440	1600	5700	11000	19000	27500	41000		
2		सगौन	150	500	1900	7200	14400	14900	37800	55800		
3		शीशम	120	450	1500	4800	8700	16000	24000	31500		
4		पापुलर	100	250	700	1500	1800	2700	3600	5400		
5		खैर	250	650	1950	6550	13500	20800	32500	40000		
6		गाम्भ, सिरस	100	210	800	2100	3460	6580	8050	12000		
7		असना	100	250	900	3100	6600	11500	17100	28000		
8		आम, महुआ, नीम, गुन, बहेडा, तिलविल, हरी, इमली	200	2000	3000	4000	6000	8000	10000	15000		
9		कुकुट, जंगल जलबी, कजी, बरपाद, गूलर, पीपल, बेल, अर्जुन	100	150	500	1100	2000	3500	4500	6000		
10		प्रोसीपिस, बौर सुबर्बल	100	150	300	700	1600	2700	3800	5000		
11		(कोमल प्रकार) कर्पू, मलखरी, गुटल, झींग, खरपल, कर्पू, बाकली, बौरंग, छावली, पूला, सभल, हल्दी (हरी)	100	200	1500	2500	4500	6500	8500	13000		
12		यूकलिप्टस	50	100	300	600	1000	2000	3000	5000		
13		बांस	20	50	100	200	300	400	500	600		

विभिन्न संशोधन और कृषि विभागों की अनुसंधान एवं कृषि सं

राजस्थान सरकार का वार्ड नंबर 10 का क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र

भाग - 1

पृष्ठ - 1

क्र.सं.	वार्ड नाम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	महिशवा	102	महोना	0154
2	रामपुर निस्क	102	महोना	0184
3	सहारा स्टेट (महिशवा)	102	महोना	0220
4	सहारा ग्रैस (महिशवा)	102	महोना	0222

(जनसंपर्क विभाग)
अपर निवाहिकारी (वि० एवं सं०)
लखनऊ।

भाग-1

प्राक-1

रजिस्ट्रिकरण वप जिना बख्शी का तालाब जिना लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा वप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	अजमहर कला	3	102	0028
2		इंटीजा		102	0038
3		उमरगारी		102	0041
4		एलिको सिटी (मुबारकपुर)		102	0224
5		केसरमऊखुर्द		102	0058
6		केसरमऊकला		102	0057
7		कमलापुर		101	0002
8		कमलाबाद बहौली		102	0046
9		कमलाबाद		101	0001
10		कांडी मौली		101	0003
1	2		3	4	

(अनन्त शर्मा)
क्षेत्र जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

परिष्कारण उप विभा बखी का तालाब विभा लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

प्राकृ-1

भाग-1

ख- अर्धनारीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ़वेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
11	11	खरगपुर गानौर	101	लखनऊ	0005
12	12	खैरिया	101	लखनऊ	0004
13	13	गालिन्दपुरी	102	महोना	0072
14	14	गायला	102	महोना	0067
15	15	गांग जोर	102	महोना	0065
16	16	गुडम्बा	102	महोना	0068
17	17	बकाना गिरि	102	महोना	0075
18	18	वरहिया	102	महोना	0091
19	19	विवासीपुर	101	लखनऊ	0006
20	20	देवरई कला	102	महोना	0099

अपर विभाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ
लखनऊ

भाग-1

प्राक-1

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गानुक्रम में

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा	परगना या बाड़ का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साप्टवेयर में आवांति किया गया बी-कोड
1	2			3	
21	दसौली		102	महोना	0096
22	धाबैला		101	लखनऊ	0009
23	नरहरपुर		101	लखनऊ	0010
24	नवीकोट नन्दना		102	महोना	0105
25	पट्टी		101	लखनऊ	0012
26	पूरुवाब		101	लखनऊ	0014
27	पूकरामऊ		102	महोना	0121
28	बराही मगठ		102	महोना	0130
29	बरखुरदारपुर		102	महोना	0128
30	बसहा		102	महोना	0132

(अनन्त शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (डि० एवं ए०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रीकरण उप विभा बस्ती का लालाब विभा लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

प्रारूप-1

भाग-1

ख- अर्धनारीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व शान या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व शान की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापत्तवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4		
31	बनौर	102	महोना	0127	
32	लीकामऊ कर्ला	102	महोना	0136	
33	मिठौली खुर्द	101	लखनऊ	0017	
34	भवानी पुर	102	महोना	0147	
35	श्यामऊ	102	महोना	0151	
36	शौली	102	महोना	0152	
37	आखामऊ	102	महोना	0148	
38	महिपलपुर	102	महोना	0165	
39	मुबारकपुर	102	महोना	0173	
40	मुहौल्लददीनपुर	101	लखनऊ	0019	

(सहस्रनाम दीपना)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।



रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का लालब जिना लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

भाग-1
प्रारूप-1

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापेक्षेषर में आवाहित किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
41	महोना		102	महोना	0166
42	मामपुर बाना		102	महोना	0170
43	मिश्रपुर		102	महोना	0171
44	मिर्जापुर		101	लखनऊ	0018
45	राम पुर देवरई		102	महोना	0183
46	राजापुर इन्दौरा		102	महोना	0180
47	रसूलपुर सादाल		102	महोना	0178
48	रसूलपुर कायस्थ		102	महोना	0177
49	कदही		102	महोना	0187
50	सरेया		102	महोना	0196

अर्धनगरीय क्षेत्र (ख) एवं (ग)

...

...

रजिस्ट्रिकरण वप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
शामील क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

पृष्ठ-1

भाग-1

ग- शामील क्षेत्र

क्रम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साप्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
1	अरन्धा	102	महोना	0033
2	अचरामऊ	102	महोना	0027
3	अल्हमपुर	102	महोना	0034
4	अधार खेड़ा	102	महोना	0031
5	अर्जुनपुर	102	महोना	0032
6	अहमदपुर खेड़ा	102	महोना	0037
7	अयनहा	102	महोना	0036
8	अरली	102	महोना	0035
9	अट्यवा	102	महोना	0029
10	अकबरपुर	102	महोना	0026
11	अलैया	102	महोना	0030

अधिसूचना क्र. 10/2010 (वि. एवं रा.)
जिला बख्शी

(Handwritten signature)


राजकीकरण उप विभा बख्शी का तालाब विभा लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गानुक्रम में

भाग-1
पृष्ठ-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
12	इन्दारा	102	महोना	0039
13	उमरिया	102	महोना	0052
14	उखरना	102	महोना	0042
15	उनई	102	महोना	0040
16	कुम्हरवा	102	महोना	0055
17	कुंवरपुर	102	महोना	0056
18	कुंवा	102	महोना	0044
19	कपासी	102	महोना	0045
20	कमालपुर सिरसा	102	महोना	0048
21	कमालपुर कायस्थ	102	महोना	0047
22	करसन्डा	102	महोना	0049

अपर निदेशिका (पुं एवं पुं) का नाम



रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला बख्तनज में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

प्राकृ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व शाम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व शाम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किसे जाने वाले सापटवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
23	करींदी	102	महोना	0051
24	करीमनगर	102	महोना	0050
25	कालीहार	102	महोना	0053
26	कौडिया मऊ	102	महोना	0059
27	करवारा	102	महोना	0043
28	किशनपुर	102	महोना	0054
29	खर्जूरी	102	महोना	0060
30	खसरावा	102	महोना	0062
31	खानपुर	102	महोना	0063
32	खन्नापी	102	महोना	0061
33	गौरवा मऊ	102	महोना	0070

(मन्तव्य प्राप्त)
 ग्राम रजिस्ट्रिकरण (पृष्ठ सं. 48)



विस्तृतिका रूप विना बख्शी का तालाब विना लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

प्राक-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किसे जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
34	गौराही	102	महोना	0071
35	गौधना	102	महोना	0069
36	गौडना खूँ	102	महोना	0074
37	गौडनाकाली	102	महोना	0073
38	गढ़ा	102	महोना	0064
39	गुलागपुर	102	महोना	0066
40	बन्दनापुर	102	महोना	0079
41	बन्दाकोडर	102	महोना	0080
42	बौगवा	102	महोना	0082
43	बौदपुर-खानीपुर	102	महोना	0081
44	बकपुखीपुर	102	महोना	0076

अधर विभागाधिकारी (वि० एवं ए०)
 (अधर वि०)
 बख्शी


रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला बखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गानुक्रम में


प्रकप-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
45	राकबनकट	102	महोना	0077
46	राकबीबीपुर	102	महोना	0078
47	जमखनवा	102	महोना	0083
48	जालपुर	102	महोना	0084
49	टिकरी	102	महोना	0085
50	टिकरी	102	महोना	0086
51	डेरवा	102	महोना	0087
52	झीरपुर	102	महोना	0089
53	डिवासी	102	महोना	0090
54	तारनपुर	102	महोना	0092
55	रुधरा	102	महोना	0097

(अध्यापक) 
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
बखनऊ।



रजिस्ट्रिकरण वप जिला बख्शी का गालाब जिला बखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिकम में


पृष्ठ-1

पृष्ठ-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
56	दुर्जनपुर	102	महोना	0098
57	दुर्गौर	101	बखनऊ	0007
58	देवरी ऊखारा	102	महोना	0100
59	दरौना	102	महोना	0094
60	दरियापुर	102	महोना	0093
61	दौलतपुर	102	महोना	0101
62	दिगाई	102	महोना	0088
63	दिनकर पुर झलौवा	102	महोना	0095
64	दिनोहरा	102	महोना	0102
65	धरिगारा	101	बखनऊ	0008
66	नरायनपुर	102	महोना	0106

अपर जिलाधिकारी (वि० एवं धा०)
 बखनऊ।



कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा विस्तारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड
1	2		3	4	
67	नरायणद्वार	102	महोना	0107	
68	नरीया	102	महोना	0108	
69	नगवामऊखुर्द	102	महोना	0104	
70	नगवामऊकला	102	महोना	0103	
71	परसाहिया	102	महोना	0111	
72	परसऊ	102	महोना	0112	
73	फलका	102	महोना	0113	
74	पहिचम गाँव	101	लखनऊ	0011	
75	पलिया	102	महोना	0114	
76	पदलपुर	102	महोना	0110	
77	पुरवा	101	लखनऊ	0013	


राजस्विकरण उप विभा बख्शी का ताबाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

ग- ग्रामीण क्षेत्र

प्राकप-1

भाग-1

(संख्या 100/2015)
 उपपर जिलाधिकारी (वि० एवं स०)
 लखनऊ।



रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का गालाब जिना लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में


पृष्ठ-1


पृष्ठ-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड
1	2		3	4	
78	पहाड़पुर	102	महोना	0115	
79	पूव्ही पुर	102	महोना	0120	
80	परा	102	महोना	0116	
81	पालपुर	102	महोना	0117	
82	पौडपुर	102	महोना	0122	
83	पट्टी	102	महोना	0109	
84	पिपरी	102	महोना	0118	
85	पिथीनगर	102	महोना	0119	
86	फर्रुखाबाद	101	लखनऊ	0015	
87	फरीदपुर खमरहूँ	102	महोना	0123	
88	बरगद्दी कला	102	महोना	0129	

(संलग्न सूचना)
 शहर जिलाधिकारी (वि० एवं पा०)
 लखनऊ।





(प्रमाण प्रमाण)
 उपर निर्वाहिका (वि २२ २१०)
 लखनऊ।

क्र	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापटवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4		
89	बराखमपुर	102	महोना	0131	
90	बहादुरगंज	102	महोना	0133	
91	बलवा	102	महोना	0139	
92	बहेरू करौन्दी	102	महोना	0145	
93	बहेरू	102	महोना	0140	
94	बाल पुर गंगौरा	102	महोना	0134	
95	बाहर गाँव	102	महोना	0135	
96	बाहा	102	महोना	0124	
97	बौकमऊ	101	लखनऊ	0016	
98	बनौगा	102	महोना	0126	
99	बनगाँव	102	महोना	0125	

भाग-1

प्राक-1

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

ग- ग्रामीण क्षेत्र

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का वाला बख्तज में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
 ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्गीकरण में

पृष्ठ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

क्रम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वाड़ का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापटबेयर में आवंटित किया गया बी-कोड
1	2	3	4		
100	बीबीपुर		102	महोना	0138
101	बीकानऊ खर्द		102	महोना	0137
102	भरगहना		102	महोना	0146
103	भरसर		102	महोना	0144
104	भरुनी		102	महोना	0141
105	भरुनीपुर		102	महोना	0142
106	भीखमपुर		102	महोना	0150
107	भटसुवा		102	महोना	0143
108	भिखारी पुर		102	महोना	0149
109	भरघा		102	महोना	0157
110	महोपुर		102	महोना	0158

(सन्तान संरक्षण)
 ग्राम रजिस्ट्रिकारी (वि० एवं ए०)
 बख्तज।

भाग-1

प्राकप-1

रजिस्ट्रिकरण रप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा रप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सापटवयर में आवंटित किया गया बी-कोड	
1	2			3		
111	मलकपुर			102	महोना	0159
112	महोनावा			102	महोना	0161
113	मदारीपुर			102	महोना	0156
114	मदड़कला			102	महोना	0160
115	मुखसिपरी			102	महोना	0174
116	मडौली			102	महोना	0155
117	माधौपुर			102	महोना	0167
118	मोहम्मद पुर मजरा			102	महोना	0163
119	मोहम्मद पुर सरेया			102	महोना	0164
120	मोहम्मद पुर मठी			102	महोना	0162
121	मानपुर राजा			102	महोना	0168

(सिन्हा राजेश कुमार)
अधर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

प्राकृ-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम सख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्त किया गया बी-कोड
1	2	3	4	
122	मानपुर लाला	102	महोना	0169
123	मझौरिया	102	महोना	0153
124	मिथीपुर	102	महोना	0172
125	यकड़िया कला	102	महोना	0175
126	रायपुर राजा	102	महोना	0186
127	रायपुर बाई	102	महोना	0185
128	रायपुर बेहड़ा	102	महोना	0182
129	राजापुर सलेमपुर	102	महोना	0181
130	राजपुर	102	महोना	0179
131	रजौली	102	महोना	0176
132	शै्या	101	लखनऊ	0020

(सहस्र)
 अथवा जिलाधिकारी (वि० एवं स०)
 लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नारीय क्षेत्र, अर्धनारीय क्षेत्र तथा
शमीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

प्राकृ-1

भाग-1

ग- शमीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त क्रिये जाने वाले साफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया बी-कोड
1	2	3	4	
133	देवामऊ	102	महोना	0188
134	लौधौली	102	महोना	0190
135	लाल पुर	102	महोना	0189
136	लक्ष्मीपुर	101	लखनऊ	0021
137	सरसवा	102	महोना	0192
138	सादा मऊ	102	महोना	0197
139	सराय उसरना	102	महोना	0193
140	सराय दाम	102	महोना	0194
141	खैरपुर	101	लखनऊ	0025
142	सरायी	102	महोना	0195
143	सज्जादलनगर	102	महोना	0191

(सन्तुष्ट शैली)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

रजिस्ट्रिकरण उप विभा बख्शी का तालाब विभा बखनक में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

भाग-1


भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम संख्या	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त क्रिये जाने वाले साफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
144	सुल्तानपुर	102	महोना	0206
145	सुवर्णापुर	102	महोना	0204
146	सुमाननगर आरियावा	102	महोना	0205
147	सोनावा	102	महोना	0203
148	सीवा	102	महोना	0202
149	सिहमऊ	102	महोना	0201
150	सिंह पुर	102	महोना	0200
151	शाहपुर नरवल	102	महोना	0210
152	शाहपुर राजा	102	महोना	0209
153	शिवपुरी	102	महोना	0212
154	शिवखंड	102	महोना	0211



(समान्य सुचना) अपर जिलाधिकारी (वि० एवं स०) बखनक।



रजिस्ट्रिकरण उप जिला बख्शी का तालाब जिला लखनऊ में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा
ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णिक्रम में

प्राक-1

भाग-1

ग- ग्रामीण क्षेत्र

कम	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण, यदि कोई हो, तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाये)	परगना या वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले साप्टवेयर में आवांतिव किया गया वी-कोड
1	2	3	4	
155	शिवरी	102	महोना	0207
156	दुई	102	महोना	0214
157	हालपुर	102	महोना	0218
158	हाली चक	102	महोना	0217
159	हरदौरपुर	102	महोना	0216
160	हनुमानपुर	102	महोना	0215
161	हिमालपुर	102	महोना	0219

(अनन्त सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

भाग-2
पृष्ठ-2

उप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में आकषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बसिक वेर्य)

1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	आकषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम वार्डें रास्ते पर)
0033	अरखा	102	1400
0027	अधरामऊ	102	4000
0034	अन्दमपुर	102	1400
0031	अधर खेड़ा	102	4800
0032	अर्जुनपुर	102	3500
0028	अजानहर कला	102	5500
0037	अहमदपुर खेड़ा	102	3500
0036	असनहा	102	1400
0035	अस्ती	102	4000
0029	अदरखा	102	1400

(मान्य वेर्य)
अधर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

उप जिला बध्नी का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत मं अकषक मंमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
प्रकार-2

साइटवेयर में माइल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	1	2	3	4
आवृत्त किया गया बी-कोड				
0026	अकबरपुर	102	महोना	1400
0030	अतरौरा	102	महोना	1400
0039	इन्दारा	102	महोना	1700
0038	इटौला	102	महोना	5500
0041	उमरगोरी	102	महोना	4000
0052	उमरिया	102	महोना	1400
0042	उसरना	102	महोना	1700
0040	उनई	102	महोना	1400
0224	एल्लिका सिटी (मुबारकपुर)	102	महोना	16000
0055	कुम्हरवा	102	महोना	4000

(अनन्त शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

1	2	3	4
साफ़तवेयर में आवांति किया गया बी-कोड			
0056	कुंवरपुर	102	महोना
0044	कुंनौरा	102	महोना
0058	केसरमऊखुर्द	102	महोना
0057	केसरमऊकला	102	महोना
0045	कपासी	102	महोना
0002	कमलापुर	101	लखनऊ
0046	कमलाबाद बहौली	102	महोना
0001	कमलाबाद	101	लखनऊ
0048	कमलापुर सिरसा	102	महोना
0047	कमलापुर कायस्थ	102	महोना
			1400

उप जिना बखी का लालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत में अक्षक मूंस की दर प्रति वर्गमीटर (वैसिक वेल्ड)

भाग-2
प्रकृ-2

अक्षक मूंस की दर प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम

लखनऊ
अपर जिलाधिकारी (वेल्ड एवं रांवे)
(लखनऊ)

उप जिला बस्ती का तालाब जिगा-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वषानुक्रम में अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (वैदिक बेल्य)

भाग-2

प्राकृ-2

1	2	3	4
सापटवयर में आवंटित किया गया बी-कोड	माहले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम वॉर्ड राजस्व पर)
0049	करसन्हा	102	महोना
0051	करौदी	102	महोना
0050	करीमनगर	102	महोना
0053	कालीहार	102	महोना
0003	कोइरी मौली	101	लखनऊ
0059	कौडिया मऊ	102	महोना
0043	कठवार	102	महोना
0054	किशनपुर	102	महोना
0005	खरगपुर जगीर	101	लखनऊ
0060	खजुरी	102	महोना


(अन्वय स्थान)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

उप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बसिक वेर्य)

भाग-2
प्रक-2

1	2	3	4
साफवेयर में मोहले या राजस्व ग्राम का नाम		परगना या वार्ड का नाम	अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम वॉर्डे रास्ते पर)
0062	खसरावा	102	महोना
0063	खानपुर	102	महोना
0004	खैय्या	101	लखनऊ
0061	खन्दापी	102	महोना
0070	गोरवा मऊ	102	महोना
0071	गोरही	102	महोना
0072	गोविन्दपुरी	102	महोना
0069	गोधना	102	महोना
0067	गांधवा	102	महोना
0074	गोहना खर्द	102	महोना
			3500
			5500
			1400
			4000
			1400
			3500
			4000
			5500
			1400
			1400
			4

(अन्ततः सुकला)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।





उप जिला बक्षी का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षेपक भाँसे की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
प्रारूप-2

1	2	3	4
सापटवेयर में माइन्स या राजस्व ग्राम का नाम			
आवाजि किया गया बी-कोड			
0073	राहनाकला	102	महोना
0065	गाम जोर	102	महोना
0064	गाँवा	102	महोना
0066	गुलागपुर	102	महोना
0068	गुडखा	102	महोना
0079	चन्दनापुर	102	महोना
0080	चन्दाकोडर	102	महोना
0082	चौगावा	102	महोना
0081	चौदपुर-खानीपुर	102	महोना
0076	चकपुखीपुर	102	महोना
			1400
			4400
			1400
			4000
			1400
			6600
			1400
			1400
			3500
			4000

(सना-नाम रिकॉर्ड)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।



उप जिला बस्ती का तालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बैरिक वॉल्यू)

भाग-2

प्रकार-2

अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

1	2	3	4
साइटवेयर में माइले या राजस्व ग्राम का नाम			
आवृत्त किया गया बी-कोड			
0077	वकबनकट	102	महोना
0078	वकबीबीपुर	102	महोना
0075	वकगंगा गिरि	102	महोना
0083	जमखनवा	102	महोना
0084	जालपुर	102	महोना
0085	टिकरी	102	महोना
0086	टिकरी	102	महोना
0087	डेरा	102	महोना
0089	डीरपुर	102	महोना
0090	हिलवासी	102	महोना

(अनन्तर श्रवण)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं वा०)
लखनऊ।

उप जिला बक्षी का तालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अकेषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बोसिक वेल्यू)

भाग-2
प्रकरण-2

1	2	3	4
सापटवेयर में आवांति किया गया बी-कोड			
तरीया	102	महोना	4800
गारनपुर	102	महोना	1400
विवासीपुर	101	लखनऊ	6600
वृषा	102	महोना	1400
कुर्नपुर	102	महोना	3500
कुर्नौर	101	लखनऊ	4000
देवरई कला	102	महोना	4400
देवरी कखारा	102	महोना	4000
दरौना	102	महोना	1400
दरियापुर	102	महोना	1400
0091	102	महोना	4800
0092	102	महोना	1400
0006	101	लखनऊ	6600
0097	102	महोना	1400
0098	102	महोना	3500
0007	101	लखनऊ	4000
0099	102	महोना	4400
0100	102	महोना	4000
0094	102	महोना	1400
0093	102	महोना	1400

अकेषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम

भागा-2

(अनन्त श्रवणा)
अपर विभागाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

Handwritten signature

1	2	3	4
सापटवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड	मोडेल या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड का नाम	अकृषक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)
0096	दशौली	102	महोना
0101	दौलतपुर	102	महोना
0088	दिगाई	102	महोना
0095	दिनकर पुर झौंवा	102	महोना
0102	खिनोहरी	102	महोना
0008	खिगवा	101	लखनऊ
0009	धाबला	101	लखनऊ
0010	नरहरपुर	101	लखनऊ
0106	नरायनपुर	102	महोना
0107	नरायनहार	102	महोना


भाग-2

प्राकृ-2

उप जिगा बरही का लालाब जिगा-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अकृषक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर (वैश्विक वेर्य)

(जनसंख्या सूची)
आय विभागीय (वि० एवं ए०)
लखनऊ।

(अनुसूचित जाति)
 अपर विभागाधिकारी (वि० एवं ए०)
 लखनऊ।




1	2	3	4
सापटवेयर में आवृत्त किया गया वी-कोड			
0108	नरीया	102	महोना
0105	नवीकोट नन्दना	102	महोना
0104	नगामकखुर्द	102	महोना
0103	नगामककली	102	महोना
0111	परसाहिया	102	महोना
0112	परसऊ	102	महोना
0012	पहरी	101	लखनऊ
0113	पलका	102	महोना
0011	पहियम गाँव	101	लखनऊ
0114	पलिया	102	महोना

उप विभा बक्षी का ताबाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अक्षरक मॉडि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
 प्राकृ-2

उप जिला बस्ती का लालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णिकम में अकंषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बसिक वेल्थ)

भाग-2

शरकप-2

साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड				
माहिले या राजस्व ग्राम का नाम				
0110	पर्वतपुर	102	महोना	1400
0013	पुरवा	101	लखनऊ	3500
0014	पूरवावा	101	लखनऊ	4800
0115	पहाड़पुर	102	महोना	4400
0120	पूखी पुर	102	महोना	1400
0121	धकरामऊ	102	महोना	5500
0116	पारा	102	महोना	4000
0117	पालपुर	102	महोना	1400
0122	पौड़पुर	102	महोना	1400
0109	पट्टी	102	महोना	1400

अकंषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम

(अन्वय सूचना)
अपर विभागाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

उप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

भाग-2
प्रकार-2

1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड		परगना या वार्ड का नाम	
0118	पिपरी	महोना	1400
0119	पिथीनगर	महोना	1400
0015	फरखाबाद	101	4000
0123	फतेहपुर खमराई	102	4000
0129	बराही कला	102	4000
0130	बराही मंगल	102	1400
0128	बख्शबादपुर	102	5500
0131	बराहीमपुर	102	4800
0133	बहादुरगंज	102	3500
0132	बसहा	102	1400
		महोना	4800

(अनन्त शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।

1	2	3	4
सापटवेयर में मोहले या राजस्व ग्राम का नाम			
आवंटित किया गया बी-कोड			
0139	बेलवा	102	महोना
0145	बहेड़ करौन्दी	102	महोना
0140	बहेटा	102	महोना
0134	बाल पुर गाँविया	102	महोना
0135	बाहर गाँव	102	महोना
0124	बगहा	102	महोना
0016	बौकमऊ	101	लखनऊ
0127	बनौर	102	महोना
0126	बनौगा	102	महोना
0125	बनगाँव	102	महोना

अकॉषक अंश की दर प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम

भाग-2
प्राक-2

उप जिला बक्शी का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अकॉषक अंश की दर प्रति वर्गमीटर (बिस्किट वेल्स)

(अनन्त शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं ए०)
लखनऊ।


उप विना बरषी का तालाब जिना-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकृत में अकृषक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर (बैसिक वेल्थ)

भाग-2
प्रकार-2

साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड				
साइटवेयर या राजस्व ग्राम का नाम				
अकृषक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम बीडें यास्ते पर)				
0138	बीबीपुर	102	महोना	1400
0137	बीकामऊ खूद	102	महोना	1700
0136	बीकामऊ कला	102	महोना	4000
0017	मिठौली खूद	101	लखनऊ	6600
0146	भरगढ़ना	102	महोना	1400
0144	भंडसर	102	महोना	3500
0147	भवानी पुर	102	महोना	4000
0141	भूसी	102	महोना	1400
0151	भूसामऊ	102	महोना	4800
0152	भौली	102	महोना	5500



(लखनऊ शहर)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।



भाग-2

प्राक-2

उप विभा बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षरक मॉड की दर प्रति वर्गमीटर (ब्रिस्क वेल्ड)

साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड				
0142	भगीनीपुर	102	महोना	1400
0148	आखामऊ	102	महोना	4800
0150	भीखमपुर	102	महोना	1400
0143	भटसुवा	102	महोना	1400
0149	फिखारी पुर	102	महोना	1400
0157	भरपा	102	महोना	1400
0158	मन्दीपुर	102	महोना	1400
0159	भलकपुर	102	महोना	1400
0154	भडियाव	102	महोना	9000
0165	भडिपतपुर	102	महोना	1700

अक्षरक मॉड की दर प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)


परगना या वार्ड का नाम



(अनन्दा शर्मा)

अपर विभाधिकारी (वि० एवं ए०)

लखनऊ।



भाग-2

प्रकृ-2

रूप जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (ब्रिचक वेल्ड) में


	1	2	3	4
साइटवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड				
साइटवेयर में आवंटित या राजस्व ग्राम का नाम				
0161	महिलावा	102	महोना	1400
0156	मदारीपुर	102	महोना	4000
0160	मदकूकली	102	महोना	3500
0173	सुबारकपुर	102	महोना	5500
0019	सुहीउददीनपुर	101	लखनऊ	6600
0174	सुसाधिपुरी	102	महोना	1400
0166	महोना	102	महोना	4400
0170	सामपुर बाना	102	महोना	5500
0155	मंडौली	102	महोना	1700
0167	साहीपुर	102	महोना	4000

अक्षक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)

परगना या वार्ड का नाम



अक्षक भूमि
अक्षक भूमि (9 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर)




रघु जिला बस्ती का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्गीकरण में अक्षयक मूल्य की दरें प्रति वर्गमीटर (बैरिक वेल्ड)

भाग-2
प्रकार-2

साइटवेयर में आवांति किया गया बी-कोड	1		2		3		4
	साइटवेल्ड या राजस्व ग्राम का नाम				परगना या वार्ड का नाम		
0163	माहम्मद पुर मजरा	102	महोना	102	महोना	4800	
0164	माहम्मद पुर सरैया	102	महोना	102	महोना	1700	
0162	माहम्मद पुर गढी	102	महोना	102	महोना	1400	
0168	मानपुर राजा	102	महोना	102	महोना	3500	
0169	मानपुर लाला	102	महोना	102	महोना	3500	
0153	मडीरिया	102	महोना	102	महोना	1400	
0171	मिशपुर	102	महोना	102	महोना	5500	
0172	मिश्रीपुर	102	महोना	102	महोना	4000	
0018	मिर्जापुर	101	लखनऊ			6600	
0175	थकड़िया कला	102	महोना			1700	



(अनन्य श्रेणी)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं सं०)
लखनऊ।



1	2	3	4
सापटवेयर में आवृत्त किया गया बी-कोड			
0186	रायपुर राजा	102	महोना 4000
0185	रायपुर बाबू	102	महोना 1400
0184	रामपुर निरफ	102	महोना 9000
0183	राम पुर देवरई	102	महोना 4800
0182	रामपुर बेहड़ा	102	महोना 4400
0181	राजापुर सलेमपुर	102	महोना 1400
0180	राजापुर इन्दौरा	102	महोना 5500
0179	राजपुर	102	महोना 1400
0178	रसैलपुर सादाल	102	महोना 4800
0177	रसैलपुर कासख	102	महोना 5500

अकृषक भूमि की दरे प्रति
वर्गमीटर (9 मीटर से कम
बाँडे रास्ते पर)

परगना या बाँडे का नाम

मोहले या राजस्व ग्राम का नाम

भाग-2
प्राक-2

उप लिखा बरही का तालाब जिला-लखनऊ के अधीन विभिन्न भागों (नारीय, अर्धनारीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में
वर्गीकरण में अकृषक भूमि की दरे प्रति वर्गमीटर (वैशिक वेल्थ)

(समाप्त पृष्ठा)
आपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
लखनऊ।